<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतुल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 02 / 13</u> संस्थापन दिनांक:-02 / 01 / 13 फाईलिंग नं. 233504001482013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी, आमला (सामान्य), जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- देवीसिंह पिता फाटू चौहान, उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3, माता मंदिर आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 26.09.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध म.प्र. वनोजप व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की धारा 16 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.08.2012 को रात्रि करीब 09:30 बजे रतेड़ा रोड शमशान घाट के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सागौन की 4 नग चरपट मोटर सायकिल से परिवहन किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2012 को रात्रि करीब 09:30 बजे वनरक्षक संतोष कुमरे मय स्टाफ शासकीय वाहन क. एमपी—02—एवी—1313 से गश्ती पर थे। जैसे ही वे लोग रतेड़ा रोड पुलिया पर पहुंचे जहां उन्हें दो लोग मोटर सायिकल से चरपट लाते हुए दिखायी दिये जो उन्हें देखकर भागने लगे जिनका उनके द्वारा पीछा किया गया जिस पर अभियुक्तगण मोटर सायिकल और चरपट छोड़कर भाग गये। उड़नदस्ता वाहन की लाईट से उन्होंने अभियुक्तगण को पहचाना था। तत्पश्चात मोटर सायिकल एवं चरपट वन परिक्षेत्र कार्यालय लेकर आये एवं चरपटों का नापजोप कर वन अपराध क. 512/53

पंजीबद्ध किया गया। वनोपज की सूची तैयार कर वनोपज एवं मोटर सायकिल को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण करने पर उनके बयान लेख किये गये तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर सागौन की 4 नग चरपट मोटर सायकिल से परिवहन किया ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

11 विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।। विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 5 संतोष कुमरे (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह दिनांक 26.08.2012 को आमला रेंज में ठानी बीट में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर शासकीय वाहन एमपी—02—एवी—1313 से गश्ती कर रहा था। नेहरू सूर्यवंशी (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 26.08.2012 को वह वन विभाग में झायवर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को गश्ती के लिए ठानी मार्ग पर वाहन लेकर गया था। राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 26. 08.2012 को वन परिक्षेत्र आमला में मोवाड़ फारेस्ट चौकी में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ होते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी के आदेशानुसार शासकीय वाहन एमपी—02—एवी—1313 से रात्रि 9.30 बजे आवारिया ठानी मार्ग पर गश्ती कर रहा था। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह बताया है कि गश्ती के दौरान आवारिया ठानी मार्ग पर पुलिया के पास दो लोग मोटर सायकिल पर सागौन की चरपट का अवैध परिवहन करते मिले।
- 6 संतोष कुमरे (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त देवीसिंह मोटर सायकिल चला रहा था तथा अभियुक्त बाबू पीछे चरपट पकड़कर बैठा था। जैसे ही हम लोगों को अभियुक्तगण को देखा तब वे शमशान रोड तरफ भागे,

उनका पीछा किया, पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्तगण मोटर सायकिल क. एमपी—05—ई—5193 को छोड़कर एवं सागौन की चरपट छोड़कर भाग गये। नेहरू सूर्यवंशी (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दो लोग मोटर सायकिल से सागौन चरपट लेकर आ रहे थे। वन विभाग की गाड़ी को देखकर शमशान घाट तरफ भागने लगे। पीछा करने पर मोटर सायकिल और चरपट फेंककर भाग गये थे। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त देवीसिंह को पहचान लिया था और स्टाफ के लोगों ने बाबू खान को पहचाना था। राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि मोटर सायकिल से दो व्यक्ति चरपट लेकर आते दिखे। जैसे ही उड़नदस्ता वाहन को देखा तो शमशान तरफ भाग गये। पीछा करने पर आगे रास्ता न होने के कारण मोटर सायकिल छोड़कर भागने लगे तब उड़नदस्ता वाहन के सर्च लाईट में अभियुक्तगण को पहचान लिया गया था परंतु अभियुक्तगण अंधेरे और झाडियों का फायदा लेकर भाग गये थे।

- 7 संतोष कुमरे (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि उसके द्वारा मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी—1) तैयार किया गया था। मौके पर ही जप्तशुदा वनोपज की सूची (प्रदर्श पी—2) तैयार की गयी थी एवं सागौन चरपट का जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी—3) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। सागौन की चरपट चार नग थी जो करीब 0.074 घन मीटर थी। नेहरू सूर्यवंशी (अ. सा.—2) ने यह बताया है कि मौके पर तैयार पंचनामा (प्रदर्श पी—1) एवं जप्त वनोपज की सूची (प्रदर्श पी—2) तथा जप्तीनामा (प्रदर्श पी—3) मौके पर तैयार किये गये थे जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि चार नग सागौन चरपट एवं मोटर सायिकल मौके पर ही जप्त कर मौका पंचनामा (प्रदर्श पी—1), जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—3) एवं जप्त वनोपज की सूची (प्रदर्श पी—2) उसके समक्ष तैयार की गयी थी जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 26.08.2012 को परिक्षेत्र सहायक के पद पर मोवाड़ परिक्षेत्र आमला में पदस्थ था। अभियुक्त देवीसिंह एवं बाबूखान से सागौन चरपट एवं मोटर सायिकल रतेड़ा रोड के पास वन विभाग के कर्मचारी संतोष कुमरे, राजेंद्र राजवंशी, नेहरू सूर्यवंशी के द्वारा जप्त की गयी थी और उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही उसके द्वारा की गयी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि प्रकरण में अग्रिम विवेचना के दौरान उसके द्वारा गवाहों के कथन एवं अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। अभियुक्तगण ने अपने कथनों में अपना अपराध स्वीकार किया था और राजीनामा हेतु सहमति दी थी परंतु राजीनामा नहीं किया गया था इसलिए यह परिवाद प्रस्तुत किया गया था। ईश्वरदास (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 09.10.2012 को मोवाड़ सर्किल में सहायक के अतिरिक्त प्रभार पर था। उसके द्वारा दिनांक 09.10.

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 9 संतोष कुमरे (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त देवीसिंह और बाबू को जानता है। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक फारेस्ट आफिस में बनाया गया था परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि पंचनामा भी आफिस में ही बैठकर बनाया गया था। स्वतः कहा कि पंचनामा मौके पर बनाया गया था। यह भी सही होना बताया है कि मौके पर अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे। नेहरू सूर्यवंशी (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी—3) तैयार करते समय अभियुक्तगण मौजूद नहीं थे। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—3), वनोपज की सूची (प्रदर्श पी—2) पर हस्ताक्षर वन विभाग में किये जाने से इनकार किया है। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि मौके पर ही उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त देवीसिंह फारेस्ट का आद्यतन अपराधी है। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—3) एवं जप्त वनोपज की सूची (प्रदर्श पी—2) फारेस्ट विभाग में बैठकर तैयार की गयी थी।
- 10 साक्षी संतोष कुमरे (अ.सा.—1), नेहरू सूर्यवंशी (अ.सा.—2) एवं राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.—5) इस तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं कि मौके पर अभियुक्त देवीसिंह एवं बाबूखान मोटर सायिकल से सागौन चरपट का परिवहन कर रहे थे तथा उन्हें मौके पर पहचान लिया गया था और उनका पीछा किया गया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण को इस संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है कि मौके पर अभियुक्तगण नहीं मिले थे या उन्हें वन विभाग के द्वारा पहचाना नहीं गया था। यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारियों को देखकर कोई भी व्यक्ति भागने का प्रयास करेगा। ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों की अभियुक्तगण से कोई रंजिश हो। अभियुक्तगण की मौके पर पहचान के संबंध में उपर्युक्त सभी साक्षीगण अखंडित रहे हैं। मौके पर अभियुक्तगण सागौन की चरपट एवं मोटर सायिकल छोड़कर भागे जिसकी वन विभाग के द्वारा विधिवत पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही की गयी जिस पर संदेह का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांका को अभियुक्तगण ही मोटर सायिकल से सागौन की चरपट का परिवहन कर रहे थे।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

11 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सागौन की 4 नग चरपट मोटर सायकिल से परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण देवीसिंह एवं बाबू खान को म.प्र. वनोजप व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की धारा 16 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

12 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 13 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब होकर उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन की चरपट का अवैध रूप से परिवहन करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 14 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन की चरपट का अवैध रूप से मोटर सायकिल से परिवहन करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 15 अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण वर्ष 2013 से निरंतर विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तगण दिनांक 09.10.2012 से 10.10.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में भी निरूद्ध रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्तगण पर्याप्त सजा भुगत चुके हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को उनके द्व रा निरूद्ध कारावास की अवधि से एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को म.प्र. वनोजप व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की धारा 16 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के उनके द्व रा निरूद्ध कारावास की अवधि से एवं 1,200/— रूपये के अर्थदंड से

दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15–15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

- 16 प्रकरण में जप्तशुदा 04 नग सागौन की चरपट के संबंध में दिनांक 06. 05.2015 को विक्रय कर राशि शासकीय कोषालय में जमा करने के संबंध में आदेश किया जा चुका है। जप्तशुदा मोटर सायिकल सुजुकी क. एमपी—05— ई—5193 वन विभाग की अभिरक्षा में है। वन विभाग के नियमानुसार जप्तशुदा मोटर सायिकल का निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।
- 17 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 18 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)